भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †1276
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का विकास

†1276. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए "सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त कार्यशाला के भाग के रूप में पंचायतों को संसाधनों, क्षमता निर्माण और डिजिटल उपकरणों से सशक्त बनाने के लिए पहल की है, जिससे कि पंचायतें सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से कार्यान्वित कर सकें और सामाजिक न्याय प्रदान कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान को ग्राम स्तर पर एक जनव्यापी पर्यावरण आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कार्यशाला के परिणामों के बारे में ब्यौरा प्रदान किया है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने में पंचायतों की भूमिका पर उक्त कार्यशाला का प्रभाव शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क), (ख), (घ) और (ङ) जी हाँ, पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के थीम-7 "सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत" पर 10-12 सितंबर 2024 तक पटना, बिहार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला का आयोजन किया है। 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित 900 से अधिक प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला में भाग

लिया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा पर कई सत्र शामिल किए गए थे।

कार्यशाला का उद्देश्य सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत के विभिन्न पहलुओं पर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना था। इस कार्यशाला के दौरान पंचायतों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने हेतु क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों, सर्वोत्तम प्रथाओं, कार्यान्वयन मॉडल, निगरानी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की थीम-7 को पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) में एकीकृत करने के संदर्भ में अपनाए गए दृष्टिकोण, अभिसरण क्रियाकलाप और अभिनव मॉडल सहित अनुकरणीय रणनीतियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यशाला के दौरान प्रदर्शित सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं और पहलों पर ऑडियो-विज़ुअल सामग्री मंत्रालय के यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर व्यापक प्रसार और परस्पर शिक्षण के लिए उपलब्ध है, ताकि जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षमता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण विषयगत कार्यशालाएँ क्षमता निर्माण अभ्यास का नियमित हिस्सा हैं, जो मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 (7 फरवरी 2025)तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न स्तरों इस थीम-7 "सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत" के अंतर्गत क्रमशः 66,612 और 33,331 निर्वाचित प्रतिनिधियों और पीआरआई के अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(ग) मंत्रालय ने अभियान को सफल बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ और अन्य हितधारकों के सहयोग से वृक्षारोपण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए पंचायतों, पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघराज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की है और राज्य पंचायती राज संस्थाओं को अभियान को सफल बनाने के लिए अपने संस्थानों में वृक्षारोपण गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कहा है। पर्यावरण संरक्षण को जोड़ने हेतु माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बनाए गए मेरिलाइफ पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 5,42,08,660 पेड़ लगाए गए हैं।

***